कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19 / 2021 367 दिनांकः05 मई 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः 548 / पॉच–5–2020, दिनांकः14 मार्च 2020 के द्वारा महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) के क्रम में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 (सप्तम् संसोधन) दिनांकः 31 मार्च 2021 विनियमावली, 2021 के द्वारा दिनांकः 30 जून 2021 तक या जब तक अगेत्तर आदेश नही दिये जाते है, जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य रहेगी।

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्याः 99 / एससीएस(चि0स्वा0) / 2021, दिनांकः 19.4.2021 के द्वारा प्रत्येक जनपद में 200 आईशोलेशन बेड तत्काल बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये है।

उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम–1897 के क्रम में निर्गत अधिसूचना दिनांकः 14 मार्च 2020 के प्रस्तर–3 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए **मैं डा0 आदर्श सिंह, जिला मजिस्ट्रेट जनपद बाराबंकी** कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम / नियंत्रण के दृष्टिगत उपचारात्मक प्रयासों / व्यवस्थाओ हेतु अधिनियम के प्रस्तर–12 के उपबन्ध–नौ के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी के परामर्श से **कोविड पॉजीटिव मरीजों को निर्बाध गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिला चिकित्सालय पुरूष, बाराबंकी के आंशिक भाग में एल–2 समकक्ष कोविड चिकित्सालय के रूप में अधिसूचित करता हूँ।**

एल–2 समकक्ष कोविड चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय पुरूष बाराबंकी के उक्त आंशिक भाग में चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की रोस्टरवार ड्यिूटी लगाते हुए एवं अन्य समस्त सुविधाओं सहित कोविड पॉजिटिव मरीजों एवं कोविड प्रिजम्टीव मरीजों के उपचार हेतु आज से संचालित किया जाये।

जिला चिकित्सालय पुरूष बाराबंकी के आंशिक भाग में एल–2 समकक्ष कोविड चिकित्सालय संचालित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी को नोडल अधिकारी भी नामित करता हूँ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय बाराबंकी को निर्देशित करता हूँ कि कोविड चिकित्सालय के संचालन में आवश्यक समन्वय मुख्य विकास अधिकारी से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

जिला चिकित्सालय पुरूष बाराबंकी के अन्य भाग में आकस्मिक एवं नान कोविड स्वास्थ्य सेवायें पूर्व की भॉति संचालित रहेगी।

उक्त चिन्हित कोविड चिकित्सालय के संस्थान के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि शासनादेश दिनांकः 23.3.2020, दिनांकः 27.3.2020 एवं भारत सरकार की गाइड लाईन COVID-19 OutBreak Guidelines for setting up Isolation Facility/Ward जो इस पत्र के साथ संलग्न है, का पूर्ण अध्ययन करते हुए शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेगें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी कोविड चिकित्सालयो को पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करते हुए, शासनादेशो एवं गाईड लाईन में उल्लिखित प्राविधानो का शतत् अनुपालन करायेगें।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सक्रंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्याः कोविड–19 / 2020 7003

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित–:

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
5. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी।
7. उप जिला अधिकारी, बाराबंकी नवाबगंज बाराबंकी।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरूष चिकित्सालय बाराबंकी।

जिलाधिकारी
बाराबंकी